

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY. PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (1)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

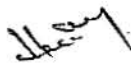
NEW DELHI, THE 5.1.98

NOTIFICATION
(INCOME TAX)

S.O. (E) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 54EA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby specifies the following shares and debentures as specified securities for the purpose of the said section, namely :-

- (i) shares to be issued within a period of one year from the date of publication of this notification by M/s. Ushdev International Ltd., Mumbai not exceeding Rs. 2 crores transferable after three years;
- (ii) debentures to be issued within a period of one year from the date of publication of this notification by M/s. Ushdev International Ltd., Mumbai not exceeding Rs. 10.04 crores transferable or convertible after three years.

Notification No. 19499


(H.K. CHOUDHARY)
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA.

(F.No. 178/48/97-ITA-I)

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-11, खंड 3, उपखंड-111
में प्रकाशनाई ।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी, 98

अधिसूचना

॥ आयकर ॥

का;ता. ॥ अ॥ आयकर अधिनियम, 1961 ॥ 1961 का 43 ॥ की धारा
54 ड०क की उपधारा ॥ 1 ॥ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित श्रेयों और क्वापत्रों को
उक्त धारा के प्रयोजनाई विनिर्दिष्ट प्रतियुक्तियों के रूप में विनिर्दिष्ट कर-ता
है. अर्थात् :-

॥ 1 ॥ मैसर्स उषदेव इन्टरनेशनल लि०, मुम्बई द्वारा इस अधिसूचना के
प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किये जाने
वाले 2 करोड़ ₹० से अधिक राशि के श्रेय तीन वर्षों की अवधि
के बाद हस्तांतरणीय होंगे ॥

॥ 11 ॥ मैसर्स उषदेव इन्टरनेशनल लि० ^{मुम्बई} द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की
तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किये जाने वाले
10.04 करोड़ ₹० की राशि के क्वापत्र तीन वर्षों की अवधि
के बाद हस्तांतरणीय अथवा परिवर्तनीय होंगे ।

< से अनधिक

अधिसूचना सं० 10499

॥ एच. के. चौधरी ॥

अवर सचिव, भारत सरकार

॥ फा० सं० 178/48/97-आयकर नि० ॥

सेवा में

प्रबंधक,

भारत सर-कार प्रेस,

रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

॥ राजौरी गार्डन के समीप ॥,

नई दिल्ली ।